



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122021-231540  
CG-DL-E-02122021-231540

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4558]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 2, 2021/अग्रहायण 11, 1943

No. 4558]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 2, 2021/AGRAHAYANA 11, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2021

**का.आ. 4929(अ).**—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 548 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

**और**, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 29 जनवरी, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी;

**और**, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था;

**और**, असकोट वन्यजीव अभयारण्य, उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अभयारण्य की स्थापना सरकारी आदेश सं. 3239/एक्स-2-2013-19(1) 2002 तारीख 25 जुलाई, 2002 के द्वारा 2013, में की गई थी जिसमें पिथौरागढ़ वन संभाग के असकोट और धारचूला रेंज के 12 वन खण्डों का 290.914 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र और वन पंचायतों और अवर्गीकृत सिविल भूमि के क्षेत्र सहित संरक्षित वन का 309.086 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार असकोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई थी। अभयारण्य बनाने का मूल उद्देश्य क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवजंतुओं की बृहत् विविधता का संरक्षण करना था;

और, असकोट वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ और लुप्तप्राय पौधों और पशुओं प्रजातियों की बहुतायत का वास है। अभयारण्य में, पौधों की 2600, पक्षियों की 250 और स्तनधारियों की 37 प्रजातियां हैं जैसे स्रोव तेंदुआ (पेन्थेरा अनसिया), हिमालयन काला भालू (सेलेनक्टोस थिबेटनुस), कस्तूरी हिरन (मोस्चस चरयसोगास्टर), हिमालयन थार (हेमिटारागुस जेमलाहीकुस), ब्लू भेड़ (पसेउडाइस न्यौर), सेरोव (कपरीकोर्नीस सुमतराइंसिस) है। जीवजंतु प्रजातियों में जैसे लूंग, मोनल (लोफोफोरुस इम्पेजानुस), कलीज फेअसंत (लोफुरा लेउकोमेलानुस), चीर फेअसंत (कटरेउस वाल्लिची) और कस्तूरी हिरन (मोस्चुस स्पा) प्रजातियां हैं। असकोट वन्यजीव अभयारण्य मस्क डियर उद्यान, वन रंजीस, ब्यासी, रंगदरमा, चौदसि, रंगभोटिया, अंवाल के लिए जाना जाता है। और वन्यजीव क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय रहते हैं। मौसमी तौर पर उच्च हिमालय क्षेत्रों में भूटिया यहां प्रवास करते हैं और कृषि करना, ऊन का व्यापार, हस्तशिल्प, भेड़ और बकरी का पालन-पोषण करना और जड़ी-बूटी और झाड़ी का संग्रहण जैसे कार्य करते हैं;

और, असकोट वन्यजीव अभयारण्य 600 मीटर से 7000 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और यह मुख्यतः काली नदी और उसकी सहायक नदियों के जलसंभार क्षेत्र में स्थित है; सहायक नदियां धौली और गौरी उत्तर में रूंगलिंग खंड से नीचे काली नदी से ऊपर 1582 मीटर है। अधिकांश सभी पहाड़ियां उत्तर-पश्चिम में फैली हुई हैं और प्रथम मुख्य रेंज ऊपरी काली और धौली नदी के जलग्रहण क्षेत्र को अलग करती हैं। इसके ऊंचाई बिंदु रूंगलिंग चोटी की ऊंचाई 4075 मीटर और सबसे निचली तावाघाट 1108 मीटर है। इस घाटी में क्षेत्र कठिन और खड़ी चट्टान है, इस श्रृंखला में हिरागूमरी, ज्योतिगाड और रूंगलिंग के वन खंड है। दूसरी मुख्य रेंज धौली और गौरी गंगा के जलग्रहण क्षेत्र को अलग करती हैं। वन खंडों में दूग चोटी की ऊंचाई बिंदु 4560 मीटर है और जौलजीबी और छिप्लाकोट का निचला बिंदु 4499 मीटर है। क्षेत्र में 2100 मीटर तक ऊंची खड़ी चट्टान है लेकिन ढलान सीधी है और इस खंड में पय्या, मजथम, दफिया धुरा, थाकला, दूग और सोबला के वन खंड है। तीसरा समूह गौर, रामगंगा और काली नदी के बीच में है और इस श्रृंखला में मुख्य चोटी घनधूरा की ऊंचाई 2501 मीटर है;

और, असकोट वन्यजीव अभयारण्य में जैविक हस्तक्षेप और अप्राकृतिक क्रियाकलापों के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष अधिक होते हैं, अत्यधिक चराई, कतरन, अग्नि घटना, अवैज्ञानिक भूमि दोहन खनन तथा विकास से जुड़े अन्य क्रियाकलापों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है;

और, असकोट वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य के जिला पिथौरागढ़ में असकोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 22 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को असकोट वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार असकोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 22 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 454.65 वर्ग किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण अभयारण्य के दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भागों की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है; जबकि, अन्य स्थानों पर, क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदाय और आदिम आदिवासी समूहों (वन राजी) के साथ सार्वजनिक परामर्श के दौरान लिए गए स्थिरता के कारण शून्य विस्तार है।
- (2) असकोट वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए असकोट वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रूप में संलग्न है।
- (4) असकोट वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) असकोट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) राजमार्ग;
- (xii) उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xiii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगी और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) *संरक्षित क्षेत्र* की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि *संरक्षित क्षेत्र* की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूर्णक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम

		न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
<b>आ. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
18.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
22.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	वायु और वाहन प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	फार्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित किए गए) होंगे।
29.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को



		उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
31.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
<b>इ. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	निम्नीकृत भूमि / वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए मानीटरी समिति-केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
1.	जिला कलक्टर, पिथौरागढ़	अध्यक्ष, पदेन;
2.	उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
6.	उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
7.	उप-संभागीय मजिस्ट्रेट, धारचौला	सदस्य, पदेन;
8.	वन्यजीव वार्डन, असकोट वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य, पदेन;
9.	संभागीय वन अधिकारी, पिथौरागढ़ एवं उप निदेशक, असकोट वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य -सचिव, पदेन

6. विचारार्थ-विषय.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के न तकजू 30 प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

**7. अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

**8. उच्चतम न्यायालय, के आदेश आदि.-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/52/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'


उपाबंध I

उत्तराखण्ड राज्य में असकोट वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तर में तिब्बत की अंतर-राष्ट्रीय सीमा है।
दक्षिण	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के दक्षिण में असकोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा है।
पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पूर्व में काली नदी और नेपाल और तिब्बत की सीमा है।
पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पश्चिम में गोरी और चीप्लाकेदर नदी है।

उपाबंध- IIक


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ असकोट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र





## उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ असकोट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## उपाबंध-III

सारणी क: असकोट वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जीपीएस-बिंदु	देशांतर	अक्षांश	विवरण
डब्ल्यू01	80° 16' 50.414" पू	29° 47' 22.484" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू02	80° 16' 18.809" पू	29° 47' 59.664" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू03	80° 17' 11.448" पू	29° 47' 56.370" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू04	80° 18' 8.446" पू	29° 47' 38.194" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू05	80° 19' 23.730" पू	29° 46' 30.774" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू06	80° 17' 52.729" पू	29° 47' 0.916" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू07	80° 18' 3.052" पू	29° 48' 29.752" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू08	80° 17' 56.549" पू	29° 49' 19.362" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू09	80° 16' 52.679" पू	29° 49' 58.596" उ	वन्यजीव अभयारण्य

डब्ल्यू10	80° 17' 25.866" पू	29° 50' 43.366" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू11	80° 16' 56.882" पू	29° 51' 34.719" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू12	80° 16' 30.437" पू	29° 52' 32.942" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू13	80° 15' 45.618" पू	29° 53' 46.225" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू14	80° 14' 48.285" पू	29° 54' 8.881" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू15	80° 16' 0.458" पू	29° 54' 13.300" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू16	80° 15' 34.991" पू	29° 55' 33.642" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू17	80° 16' 45.932" पू	29° 54' 40.951" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू18	80° 17' 31.040" पू	29° 55' 53.543" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू19	80° 18' 20.316" पू	29° 55' 17.194" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू20	80° 18' 29.597" पू	29° 54' 21.121" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू21	80° 19' 7.538" पू	29° 53' 2.589" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू22	80° 20' 0.033" पू	29° 51' 47.973" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू23	80° 20' 51.246" पू	29° 50' 27.484" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू24	80° 21' 10.857" पू	29° 49' 46.395" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू25	80° 22' 4.965" पू	29° 48' 21.827" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू26	80° 20' 49.171" पू	29° 48' 35.622" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू27	80° 19' 15.244" पू	29° 48' 39.602" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू28	80° 18' 35.850" पू	29° 48' 19.692" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू29	80° 22' 31.253" पू	29° 48' 55.116" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू30	80° 23' 27.307" पू	29° 48' 14.337" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू31	80° 24' 4.521" पू	29° 47' 23.490" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू32	80° 24' 2.277" पू	29° 46' 41.932" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू33	80° 23' 47.809" पू	29° 45' 51.921" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू34	80° 22' 54.687" पू	29° 45' 47.457" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू35	80° 22' 11.564" पू	29° 46' 29.139" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू36	80° 21' 47.643" पू	29° 47' 22.466" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू37	80° 22' 49.448" पू	29° 47' 23.089" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू38	80° 22' 7.491" पू	29° 48' 6.169" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू39	80° 19' 10.269" पू	29° 54' 27.197" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू40	80° 19' 36.465" पू	29° 53' 20.063" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू41	80° 20' 44.694" पू	29° 52' 22.839" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू42	80° 21' 45.527" पू	29° 51' 32.632" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू43	80° 23' 21.327" पू	29° 51' 14.695" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू44	80° 24' 41.411" पू	29° 50' 46.145" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू45	80° 24' 56.646" पू	29° 51' 45.762" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू46	80° 25' 40.074" पू	29° 51' 20.631" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू47	80° 25' 7.383" पू	29° 50' 56.111" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू48	80° 26' 3.588" पू	29° 50' 2.839" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू49	80° 26' 14.623" पू	29° 50' 51.011" उ	वन्यजीव अभयारण्य

डब्ल्यू50	80° 27' 43.161" पू	29° 50' 58.794" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू51	80° 28' 47.629" पू	29° 52' 7.949" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू52	80° 28' 32.008" पू	29° 52' 46.217" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू53	80° 28' 49.624" पू	29° 53' 22.090" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू54	80° 30' 29.111" पू	29° 53' 17.940" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू55	80° 32' 2.769" पू	29° 53' 30.135" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू56	80° 33' 7.640" पू	29° 54' 37.446" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू57	80° 30' 56.111" पू	29° 54' 5.740" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू58	80° 31' 10.474" पू	29° 54' 54.945" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू59	80° 30' 11.062" पू	29° 55' 24.350" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू60	80° 31' 14.778" पू	29° 56' 29.067" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू61	80° 34' 17.399" पू	29° 56' 47.121" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू62	80° 34' 43.094" पू	29° 57' 50.121" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू63	80° 32' 42.091" पू	29° 58' 17.471" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू64	80° 32' 30.624" पू	29° 59' 6.604" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू65	80° 33' 20.111" पू	30° 0' 35.533" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू66	80° 34' 32.803" पू	30° 1' 23.435" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू67	80° 35' 22.635" पू	30° 0' 12.973" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू68	80° 36' 53.211" पू	29° 59' 51.318" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू69	80° 37' 37.079" पू	30° 0' 49.493" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू70	80° 38' 32.305" पू	30° 0' 48.191" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू71	80° 38' 42.920" पू	30° 0' 18.492" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू72	80° 37' 46.694" पू	30° 0' 3.441" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू73	80° 38' 51.937" पू	29° 59' 37.962" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू74	80° 39' 18.394" पू	30° 0' 28.800" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू75	80° 40' 14.864" पू	30° 1' 48.599" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू76	80° 41' 13.934" पू	30° 1' 3.133" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू77	80° 40' 53.817" पू	30° 0' 15.764" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू78	80° 42' 30.655" पू	30° 0' 44.186" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू79	80° 41' 47.964" पू	30° 1' 59.600" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू80	80° 41' 20.884" पू	30° 3' 4.698" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू81	80° 42' 23.914" पू	30° 3' 1.166" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू82	80° 43' 47.399" पू	30° 3' 1.558" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू83	80° 44' 15.530" पू	30° 1' 54.474" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू84	80° 45' 22.032" पू	30° 1' 8.356" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू85	80° 45' 28.735" पू	30° 2' 21.917" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू86	80° 46' 22.864" पू	30° 3' 10.597" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू87	80° 47' 28.048" पू	30° 4' 18.027" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू88	80° 48' 27.474" पू	30° 5' 21.389" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू89	80° 49' 9.950" पू	30° 5' 48.155" उ	वन्यजीव अभयारण्य

डब्ल्यू90	80° 49' 42.697" पू	30° 8' 37.017" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू91	80° 48' 20.099" पू	30° 8' 55.467" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू92	80° 47' 3.787" पू	30° 9' 27.705" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू93	80° 45' 49.517" पू	30° 9' 3.506" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू94	80° 43' 44.164" पू	30° 9' 10.273" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू95	80° 43' 18.992" पू	30° 8' 2.314" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू96	80° 41' 50.835" पू	30° 7' 29.092" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू97	80° 40' 19.453" पू	30° 7' 5.715" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू98	80° 38' 59.651" पू	30° 6' 14.492" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू99	80° 37' 39.372" पू	30° 4' 39.571" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू100	80° 36' 33.076" पू	30° 3' 44.541" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू101	80° 35' 19.493" पू	30° 3' 44.945" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू102	80° 33' 50.840" पू	30° 4' 4.688" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू103	80° 34' 31.293" पू	30° 5' 44.956" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू104	80° 33' 46.912" पू	30° 7' 41.417" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू105	80° 32' 49.211" पू	30° 8' 8.175" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू106	80° 31' 31.560" पू	30° 8' 22.306" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू107	80° 30' 32.011" पू	30° 8' 7.527" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू108	80° 28' 47.374" पू	30° 8' 43.210" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू109	80° 28' 19.840" पू	30° 7' 55.035" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू110	80° 29' 28.464" पू	30° 6' 34.278" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू111	80° 29' 32.776" पू	30° 5' 27.952" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू112	80° 28' 28.911" पू	30° 3' 59.832" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू113	80° 28' 38.492" पू	30° 2' 40.249" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू114	80° 28' 26.186" पू	30° 0' 37.641" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू115	80° 28' 44.739" पू	29° 59' 57.025" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू116	80° 28' 15.123" पू	29° 59' 4.300" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू117	80° 26' 53.425" पू	29° 58' 22.729" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू118	80° 25' 48.090" पू	29° 57' 25.722" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू119	80° 22' 50.889" पू	29° 56' 18.348" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू120	80° 20' 53.669" पू	29° 57' 31.533" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू121	80° 19' 41.941" पू	29° 59' 8.645" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू122	80° 18' 49.557" पू	29° 58' 24.935" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू123	80° 19' 23.206" पू	29° 57' 6.761" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू124	80° 21' 0.134" पू	29° 56' 4.470" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू125	80° 21' 10.054" पू	29° 55' 6.253" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू126	80° 19' 43.504" पू	29° 55' 1.482" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू127	80° 18' 41.534" पू	29° 54' 59.659" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू128	80° 20' 7.892" पू	29° 54' 42.117" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू129	80° 21' 30.574" पू	29° 53' 51.241" उ	वन्यजीव अभयारण्य

डब्ल्यू130	80° 22' 16.953" पू	29° 52' 32.636" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू131	80° 21' 19.766" पू	29° 52' 15.447" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू132	80° 20' 22.038" पू	29° 53' 5.244" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू133	80° 19' 56.841" पू	29° 54' 2.143" उ	वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू134	80° 19' 30.116" पू	29° 54' 29.800" उ	वन्यजीव अभयारण्य

**सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक**

जीपीएस-बिंदु	देशांतर	अक्षांश	विवरण
ई01	80° 19' 49.609" पू	29° 59' 24.856" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 02	80° 21' 36.986" पू	30° 0' 13.545" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 03	80° 23' 35.233" पू	29° 58' 22.867" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 04	80° 21' 21.201" पू	30° 1' 42.995" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 05	80° 23' 28.645" पू	30° 2' 8.102" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 06	80° 27' 29.297" पू	30° 6' 51.233" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 07	80° 27' 59.683" पू	30° 9' 25.484" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 08	80° 30' 3.843" पू	30° 9' 45.091" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 09	80° 35' 36.211" पू	30° 7' 36.729" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई10	80° 38' 14.516" पू	30° 7' 33.479" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 11	80° 40' 3.994" पू	30° 15' 50.808" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 12	80° 41' 37.285" पू	30° 20' 19.073" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 13	80° 45' 40.715" पू	30° 17' 50.860" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 14	80° 50' 40.077" पू	30° 18' 22.925" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 15	80° 51' 1.186" पू	30° 15' 50.843" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 16	80° 49' 5.379" पू	30° 12' 1.175" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 17	80° 50' 34.683" पू	30° 8' 57.183" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन

**उपाबंध IV**

**की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति:**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।



6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार।  
(ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2021

**S.O. 4929(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 548(E), dated the 29<sup>th</sup> January, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS**, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 29<sup>th</sup> January, 2019;

**AND WHEREAS**, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

**AND WHEREAS**, Askot Wildlife Sanctuary is situated in Pithoragarh District of Uttarakhand State. The Sanctuary was established *vide* Government Order No. 3239/X-2-2013-19 (1) 2002 dated the 25<sup>th</sup> July, 2002 in 2013, whereby 290.914 square kilometers Reserve Forest area of 12 forest blocks of Askot and Dharchula Ranges of Pithoragarh Forest Division and 309.086 square kilometers area of protected forest comprising areas of Van Panchayats and unclassified civil land were included. As such the Askot Wildlife Sanctuary was established in an area of 600 square kilometers. The principal objective for the formation of the Sanctuary was conservation of the wide variety of flora and fauna in the area;

**AND WHEREAS**, Askot Wildlife Sanctuary is home for a large number of rare and endangered plant and animal species. In the sanctuary there are 2600 plants, 250 birds and 37 mammal species like snow leopard (*Panthera uncia*), Himalayan black bear (*Selenarctos thibetanus*), musk deer (*Moschus chrysogaster*), Himalayan tahr (*Hemitragus jemlahicus*), blue sheep (*Pseudois nayaur*), serow (*Capricornis sumatraensis*). Among the fauna are species like loong, monal (*Lophophorus impejanus*), kalij pheasant (*Lophura leucomelanos*), cheer pheasant (*Catreus wallichii*) and musk deer (*Moschus spp.*) the flag species. The Askot Wildlife Sanctuary is also known as Musk Deer Park. Van ranjees, Vyasi, Rangdarma, Chaudasi, Rangbhotiya, Anwal and other backward class communities live in the Wildlife Sanctuary area. Bhotiyas migrate in the high Himalayan areas seasonally and are involved in activities like farming, wool trade, handicraft, sheep and goat rearing and collection of herbs and shrubs;

**AND WHEREAS**, Askot Wildlife Sanctuary is spread between the heights of 600 meters to 7000 meters and is located mostly in the watershed areas of the river Kali and its tributaries; the tributaries Dhauli and Gauri are to the north below the Rungling block above the river Kali at 1582 meters. Almost all the hill ranges are spread in the north-west and the first main range separates the upper Kali and Dhauli river catchment areas. Its highest points are Rungling peak 4075 meters and the lowest point is Tawaghat at 1108 meters. The valley areas are difficult and steep slope which are the series of forest blocks viz, Hiragumri, Jyotigaad and Rungling. The second main range separates the catchment areas of Dhauli and Gauri Ganga. In the forest blocks the highest point is Dug peak 4560 meters and the lowest point Jauljeevi and Chhiplakot at 4499 meters. The area is highly steep till 2100 meters but below that point is in gentle slope and the section are comprises of the forest blocks of Payya, Majtham, Daphiyadhura, Thakla, Dug and Sobla. The third group falls between the river Gauri, Ramganga and Kali and it has main peak Ghandhura at a height of 2501 meters;

**AND WHEREAS**, due to biotic interference and unnatural activities possibilities of man-wildlife conflict are rampant, there is need for controlling excessive grazing, lopping, fire incidence unscientific exploitation of land, mining and other activities associated with development in the Askot Wildlife Sanctuary;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Askot Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 22 kilometres around the boundary of Askot Wildlife Sanctuary, in Pithoragarh District in the State of Uttarakhand as the Askot Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 22 kilometres around the boundary of Askot Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 454.65 square kilometres. Zero extent of Eco-sensitive Zone towards Southern, Western and Eastern side of the Sanctuary is due to international border; whereas, in other places, the zero extent is due to the resolution taken during the public consultations with local community and primitive tribal groups (Van Raaji) habituating in the area.
  - (2) The boundary description of Askot Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Askot Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.
  - (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Askot Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
  - (5) There is no village falling inside the Eco-sensitive Zone of Askot Wildlife Sanctuary.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the State.
  - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest and Wildlife;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Rural Development;
    - (viii) Irrigation and Flood Control;
    - (ix) Municipal;
    - (x) Panchayati Raj;
    - (xi) Highways;
    - (xii) Uttarakhand State Pollution Control Board; and
    - (xiii) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
  - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
  - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places,

horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

- (7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved by State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
  - (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
  - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
  - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
  - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
    - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
  - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
  - (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
  - (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
  - (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
  - (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
  - (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
    - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
    - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
  - (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
    - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
    - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
  - (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
  - (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (b) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone;  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.

3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
7.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
<b>B. Regulated Activities</b>		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:  Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:  Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:  Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.  (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.  (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.

13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
18.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
22.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
29.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
31.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.

<b>C. Promoted Activities</b>		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Pithoragarh	Chairman, <i>ex officio</i> ;
2.	A representative nominated by the Forest Department of Uttarakhand	Member, <i>ex officio</i> ;
3.	A representative of Non-government Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
4.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
5.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
6.	A representative from Uttarakhand State Pollution Control Board	Member, <i>ex officio</i> ;
7.	Sub-Divisional Magistrate, Dharchula	Member, <i>ex officio</i> ;
8.	Wildlife Warden, Askot Wildlife Sanctuary	Member, <i>ex officio</i> ;
9.	Divisional Forest Officer, Pithoragarh or Deputy Director, Askot Wildlife Sanctuary	Member-Secretary, <i>ex officio</i> .

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.



- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure-IV.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7. Additional measures.-** The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8. Orders of Supreme Court, etc.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/52/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


#### ANNEXURE- I

#### BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND ASKOT WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE UTTARAKHAND

<b>North</b>	To the north of the Eco-Sensitive Zone is the Inter National boundary of Tibet.
<b>South</b>	To the south of the Eco-Sensitive Zone is the boundary of Askot WildLife Sanctuary.
<b>East</b>	To the east of the Eco-Sensitive Zone are the river Kali and the boundary of Nepal and Tibet.
<b>West</b>	To the west of the Eco-Sensitive Zone is river Gori and Chiplakedar.

ANNEXURE- IIA


GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ASKOT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS





## ANNEXURE- IIB

## MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ASKOT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



## ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ASKOT WILDLIFE SANCTUARY

GPS-Points	Longitude	Latitude	Description
W01	80° 16' 50.414" E	29° 47' 22.484" N	Wildlife Sanctuary
W02	80° 16' 18.809" E	29° 47' 59.664" N	Wildlife Sanctuary
W03	80° 17' 11.448" E	29° 47' 56.370" N	Wildlife Sanctuary
W04	80° 18' 8.446" E	29° 47' 38.194" N	Wildlife Sanctuary
W05	80° 19' 23.730" E	29° 46' 30.774" N	Wildlife Sanctuary
W06	80° 17' 52.729" E	29° 47' 0.916" N	Wildlife Sanctuary
W07	80° 18' 3.052" E	29° 48' 29.752" N	Wildlife Sanctuary
W08	80° 17' 56.549" E	29° 49' 19.362" N	Wildlife Sanctuary
W09	80° 16' 52.679" E	29° 49' 58.596" N	Wildlife Sanctuary

W10	80° 17' 25.866" E	29° 50' 43.366" N	Wildlife Sanctuary
W11	80° 16' 56.882" E	29° 51' 34.719" N	Wildlife Sanctuary
W12	80° 16' 30.437" E	29° 52' 32.942" N	Wildlife Sanctuary
W13	80° 15' 45.618" E	29° 53' 46.225" N	Wildlife Sanctuary
W14	80° 14' 48.285" E	29° 54' 8.881" N	Wildlife Sanctuary
W15	80° 16' 0.458" E	29° 54' 13.300" N	Wildlife Sanctuary
W16	80° 15' 34.991" E	29° 55' 33.642" N	Wildlife Sanctuary
W17	80° 16' 45.932" E	29° 54' 40.951" N	Wildlife Sanctuary
W18	80° 17' 31.040" E	29° 55' 53.543" N	Wildlife Sanctuary
W19	80° 18' 20.316" E	29° 55' 17.194" N	Wildlife Sanctuary
W20	80° 18' 29.597" E	29° 54' 21.121" N	Wildlife Sanctuary
W21	80° 19' 7.538" E	29° 53' 2.589" N	Wildlife Sanctuary
W22	80° 20' 0.033" E	29° 51' 47.973" N	Wildlife Sanctuary
W23	80° 20' 51.246" E	29° 50' 27.484" N	Wildlife Sanctuary
W24	80° 21' 10.857" E	29° 49' 46.395" N	Wildlife Sanctuary
W25	80° 22' 4.965" E	29° 48' 21.827" N	Wildlife Sanctuary
W26	80° 20' 49.171" E	29° 48' 35.622" N	Wildlife Sanctuary
W27	80° 19' 15.244" E	29° 48' 39.602" N	Wildlife Sanctuary
W28	80° 18' 35.850" E	29° 48' 19.692" N	Wildlife Sanctuary
W29	80° 22' 31.253" E	29° 48' 55.116" N	Wildlife Sanctuary
W30	80° 23' 27.307" E	29° 48' 14.337" N	Wildlife Sanctuary
W31	80° 24' 4.521" E	29° 47' 23.490" N	Wildlife Sanctuary
W32	80° 24' 2.277" E	29° 46' 41.932" N	Wildlife Sanctuary
W33	80° 23' 47.809" E	29° 45' 51.921" N	Wildlife Sanctuary
W34	80° 22' 54.687" E	29° 45' 47.457" N	Wildlife Sanctuary
W35	80° 22' 11.564" E	29° 46' 29.139" N	Wildlife Sanctuary
W36	80° 21' 47.643" E	29° 47' 22.466" N	Wildlife Sanctuary
W37	80° 22' 49.448" E	29° 47' 23.089" N	Wildlife Sanctuary
W38	80° 22' 7.491" E	29° 48' 6.169" N	Wildlife Sanctuary
W39	80° 19' 10.269" E	29° 54' 27.197" N	Wildlife Sanctuary
W40	80° 19' 36.465" E	29° 53' 20.063" N	Wildlife Sanctuary
W41	80° 20' 44.694" E	29° 52' 22.839" N	Wildlife Sanctuary
W42	80° 21' 45.527" E	29° 51' 32.632" N	Wildlife Sanctuary
W43	80° 23' 21.327" E	29° 51' 14.695" N	Wildlife Sanctuary
W44	80° 24' 41.411" E	29° 50' 46.145" N	Wildlife Sanctuary
W45	80° 24' 56.646" E	29° 51' 45.762" N	Wildlife Sanctuary
W46	80° 25' 40.074" E	29° 51' 20.631" N	Wildlife Sanctuary
W47	80° 25' 7.383" E	29° 50' 56.111" N	Wildlife Sanctuary
W48	80° 26' 3.588" E	29° 50' 2.839" N	Wildlife Sanctuary
W49	80° 26' 14.623" E	29° 50' 51.011" N	Wildlife Sanctuary

W50	80° 27' 43.161" E	29° 50' 58.794" N	Wildlife Sanctuary
W51	80° 28' 47.629" E	29° 52' 7.949" N	Wildlife Sanctuary
W52	80° 28' 32.008" E	29° 52' 46.217" N	Wildlife Sanctuary
W53	80° 28' 49.624" E	29° 53' 22.090" N	Wildlife Sanctuary
W54	80° 30' 29.111" E	29° 53' 17.940" N	Wildlife Sanctuary
W55	80° 32' 2.769" E	29° 53' 30.135" N	Wildlife Sanctuary
W56	80° 33' 7.640" E	29° 54' 37.446" N	Wildlife Sanctuary
W57	80° 30' 56.111" E	29° 54' 5.740" N	Wildlife Sanctuary
W58	80° 31' 10.474" E	29° 54' 54.945" N	Wildlife Sanctuary
W59	80° 30' 11.062" E	29° 55' 24.350" N	Wildlife Sanctuary
W60	80° 31' 14.778" E	29° 56' 29.067" N	Wildlife Sanctuary
W61	80° 34' 17.399" E	29° 56' 47.121" N	Wildlife Sanctuary
W62	80° 34' 43.094" E	29° 57' 50.121" N	Wildlife Sanctuary
W63	80° 32' 42.091" E	29° 58' 17.471" N	Wildlife Sanctuary
W64	80° 32' 30.624" E	29° 59' 6.604" N	Wildlife Sanctuary
W65	80° 33' 20.111" E	30° 0' 35.533" N	Wildlife Sanctuary
W66	80° 34' 32.803" E	30° 1' 23.435" N	Wildlife Sanctuary
W67	80° 35' 22.635" E	30° 0' 12.973" N	Wildlife Sanctuary
W68	80° 36' 53.211" E	29° 59' 51.318" N	Wildlife Sanctuary
W69	80° 37' 37.079" E	30° 0' 49.493" N	Wildlife Sanctuary
W70	80° 38' 32.305" E	30° 0' 48.191" N	Wildlife Sanctuary
W71	80° 38' 42.920" E	30° 0' 18.492" N	Wildlife Sanctuary
W72	80° 37' 46.694" E	30° 0' 3.441" N	Wildlife Sanctuary
W73	80° 38' 51.937" E	29° 59' 37.962" N	Wildlife Sanctuary
W74	80° 39' 18.394" E	30° 0' 28.800" N	Wildlife Sanctuary
W75	80° 40' 14.864" E	30° 1' 48.599" N	Wildlife Sanctuary
W76	80° 41' 13.934" E	30° 1' 3.133" N	Wildlife Sanctuary
W77	80° 40' 53.817" E	30° 0' 15.764" N	Wildlife Sanctuary
W78	80° 42' 30.655" E	30° 0' 44.186" N	Wildlife Sanctuary
W79	80° 41' 47.964" E	30° 1' 59.600" N	Wildlife Sanctuary
W80	80° 41' 20.884" E	30° 3' 4.698" N	Wildlife Sanctuary
W81	80° 42' 23.914" E	30° 3' 1.166" N	Wildlife Sanctuary
W82	80° 43' 47.399" E	30° 3' 1.558" N	Wildlife Sanctuary
W83	80° 44' 15.530" E	30° 1' 54.474" N	Wildlife Sanctuary
W84	80° 45' 22.032" E	30° 1' 8.356" N	Wildlife Sanctuary
W85	80° 45' 28.735" E	30° 2' 21.917" N	Wildlife Sanctuary
W86	80° 46' 22.864" E	30° 3' 10.597" N	Wildlife Sanctuary
W87	80° 47' 28.048" E	30° 4' 18.027" N	Wildlife Sanctuary
W88	80° 48' 27.474" E	30° 5' 21.389" N	Wildlife Sanctuary
W89	80° 49' 9.950" E	30° 5' 48.155" N	Wildlife Sanctuary

W90	80° 49' 42.697" E	30° 8' 37.017" N	Wildlife Sanctuary
W91	80° 48' 20.099" E	30° 8' 55.467" N	Wildlife Sanctuary
W92	80° 47' 3.787" E	30° 9' 27.705" N	Wildlife Sanctuary
W93	80° 45' 49.517" E	30° 9' 3.506" N	Wildlife Sanctuary
W94	80° 43' 44.164" E	30° 9' 10.273" N	Wildlife Sanctuary
W95	80° 43' 18.992" E	30° 8' 2.314" N	Wildlife Sanctuary
W96	80° 41' 50.835" E	30° 7' 29.092" N	Wildlife Sanctuary
W97	80° 40' 19.453" E	30° 7' 5.715" N	Wildlife Sanctuary
W98	80° 38' 59.651" E	30° 6' 14.492" N	Wildlife Sanctuary
W99	80° 37' 39.372" E	30° 4' 39.571" N	Wildlife Sanctuary
W100	80° 36' 33.076" E	30° 3' 44.541" N	Wildlife Sanctuary
W101	80° 35' 19.493" E	30° 3' 44.945" N	Wildlife Sanctuary
W102	80° 33' 50.840" E	30° 4' 4.688" N	Wildlife Sanctuary
W103	80° 34' 31.293" E	30° 5' 44.956" N	Wildlife Sanctuary
W104	80° 33' 46.912" E	30° 7' 41.417" N	Wildlife Sanctuary
W105	80° 32' 49.211" E	30° 8' 8.175" N	Wildlife Sanctuary
W106	80° 31' 31.560" E	30° 8' 22.306" N	Wildlife Sanctuary
W107	80° 30' 32.011" E	30° 8' 7.527" N	Wildlife Sanctuary
W108	80° 28' 47.374" E	30° 8' 43.210" N	Wildlife Sanctuary
W109	80° 28' 19.840" E	30° 7' 55.035" N	Wildlife Sanctuary
W110	80° 29' 28.464" E	30° 6' 34.278" N	Wildlife Sanctuary
W111	80° 29' 32.776" E	30° 5' 27.952" N	Wildlife Sanctuary
W112	80° 28' 28.911" E	30° 3' 59.832" N	Wildlife Sanctuary
W113	80° 28' 38.492" E	30° 2' 40.249" N	Wildlife Sanctuary
W114	80° 28' 26.186" E	30° 0' 37.641" N	Wildlife Sanctuary
W115	80° 28' 44.739" E	29° 59' 57.025" N	Wildlife Sanctuary
W116	80° 28' 15.123" E	29° 59' 4.300" N	Wildlife Sanctuary
W117	80° 26' 53.425" E	29° 58' 22.729" N	Wildlife Sanctuary
W118	80° 25' 48.090" E	29° 57' 25.722" N	Wildlife Sanctuary
W119	80° 22' 50.889" E	29° 56' 18.348" N	Wildlife Sanctuary
W120	80° 20' 53.669" E	29° 57' 31.533" N	Wildlife Sanctuary
W121	80° 19' 41.941" E	29° 59' 8.645" N	Wildlife Sanctuary
W122	80° 18' 49.557" E	29° 58' 24.935" N	Wildlife Sanctuary
W123	80° 19' 23.206" E	29° 57' 6.761" N	Wildlife Sanctuary
W124	80° 21' 0.134" E	29° 56' 4.470" N	Wildlife Sanctuary
W125	80° 21' 10.054" E	29° 55' 6.253" N	Wildlife Sanctuary
W126	80° 19' 43.504" E	29° 55' 1.482" N	Wildlife Sanctuary
W127	80° 18' 41.534" E	29° 54' 59.659" N	Wildlife Sanctuary
W128	80° 20' 7.892" E	29° 54' 42.117" N	Wildlife Sanctuary
W129	80° 21' 30.574" E	29° 53' 51.241" N	Wildlife Sanctuary

W130	80° 22' 16.953" E	29° 52' 32.636" N	Wildlife Sanctuary
W131	80° 21' 19.766" E	29° 52' 15.447" N	Wildlife Sanctuary
W132	80° 20' 22.038" E	29° 53' 5.244" N	Wildlife Sanctuary
W133	80° 19' 56.841" E	29° 54' 2.143" N	Wildlife Sanctuary
W134	80° 19' 30.116" E	29° 54' 29.800" N	Wildlife Sanctuary

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

GPS-Points	Longitude	Latitude	Description
E01	80° 19' 49.609" E	29° 59' 24.856" N	Eco Sensitive Zone
E02	80° 21' 36.986" E	30° 0' 13.545" N	Eco Sensitive Zone
E03	80° 23' 35.233" E	29° 58' 22.867" N	Eco Sensitive Zone
E04	80° 21' 21.201" E	30° 1' 42.995" N	Eco Sensitive Zone
E05	80° 23' 28.645" E	30° 2' 8.102" N	Eco Sensitive Zone
E06	80° 27' 29.297" E	30° 6' 51.233" N	Eco Sensitive Zone
E07	80° 27' 59.683" E	30° 9' 25.484" N	Eco Sensitive Zone
E08	80° 30' 3.843" E	30° 9' 45.091" N	Eco Sensitive Zone
E09	80° 35' 36.211" E	30° 7' 36.729" N	Eco Sensitive Zone
E10	80° 38' 14.516" E	30° 7' 33.479" N	Eco Sensitive Zone
E11	80° 40' 3.994" E	30° 15' 50.808" N	Eco Sensitive Zone
E12	80° 41' 37.285" E	30° 20' 19.073" N	Eco Sensitive Zone
E13	80° 45' 40.715" E	30° 17' 50.860" N	Eco Sensitive Zone
E14	80° 50' 40.077" E	30° 18' 22.925" N	Eco Sensitive Zone
E15	80° 51' 1.186" E	30° 15' 50.843" N	Eco Sensitive Zone
E16	80° 49' 5.379" E	30° 12' 1.175" N	Eco Sensitive Zone
E17	80° 50' 34.683" E	30° 8' 57.183" N	Eco Sensitive Zone

**ANNEXURE –IV****Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.